भारत सरकार

GOVT. OF INDIA

टेली-फैक्स/Tele-fax – 0522-2720634

दूरभाष/Telephone-0522-2720638,2306185

ई-मेल/E-Mail –upgdc.soi@gov.in

निदेशक का कार्यालय/Office of Director
भारतीय सर्वेक्षण विभाग/Survey of India
मानचित्र भवन/Manchitra Bhawan
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकडा केन्द्र (उत्तरी क्षेत्र)
East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (N.Z.)
5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ -226010 (उ0 प्र0)
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, LUCKNOW-226010(UP)

सं0 4066 /37-जी-9 दिनांक 28 -09-2016

पूर्वी उ0प्र0भू-स्थानिक ऑकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं0 09/37-जी-9 दिनांक 27-09-2016

01- **संशोधन - केन्द्रीय सरकार के अक्षम विकलांग कर्मचारी को अतिरिक्त वाहन भत्ता (दोगुना परिवहन भत्ता) प्रदान करने की संस्वीकृति -- श्री सूरज सिह प्रवर श्रेणी लिपिक के संबंध में**

इस कार्यालय द्वारा जारी नेमी आदेश सं0 03 दिनांक 22-03-2016 में आशिंक सर्शोधन करते हुए वित्त मंत्रालय भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन सं0 21(1)/97-E-11(B), दिनांक 03-10-1977 के पैरा 3(VI) एवं दिनांक 26-05-2000 के कार्यालय ज्ञापन सं 21(1)97-E-11 (B) तथा विकलांग बोर्ड कार्यालय मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र सं01733-34/विविध 511/2014/आ0वि0ज0/13-14/लखनऊ दिनांक 03-01-2014 के अनुसार प्रदत्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र (Form IV)(Disability Certificate) सं0 CMO/KNP Nagar/2015/3386 दिनांक 19-08-2015 (जिसमें सरकारी कर्मचारी की विकलांगता 40% (चालीस प्रतिशत) के साथ-साथ स्थायी शारीरिक दुर्बलता अशक्तता दर्शायी गयी हैं) के आधार पर इस-कार्यालय के श्री सूरज सिंह प्रवर श्रेणी लिपिक को दिनांक 31-08-2015 (कार्यालय में आवेदन प्राप्त होने की तिथि) से परिवहन भत्ता दुगनी दर से (Transport Allowance at Double the Prescribed Rates) प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी की संशोधित स्वीकृति प्रदान की जाती हैं ।

देय परिवहन भत्ते की राशि संबंधित कर्मचारी को वित्त मंत्रालय के दिनांक 26-05-2000 के उपरोक्त वर्णित कार्यालय ज्ञापन के पैरा 3(VI) एवं समय-समय पर संशोधित नियमों के अनुसार देय होगी ।

उक्त परिवहन भत्ता अवकाश (आकस्मिक अवकाश के अलावा), ज्वाईनिंग टाईम एवं निलम्बन के दौरान देय नही होगा ।

The Transport Allowance will not be admissible during leave (except Casual Leave) Joining Time or Suspension.

(प्राधिकार- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 आर-7941/817-सी0ए0, दिनांक 07-09-2016)

02- **पदोन्नत :-**

इस कार्यालय के श्री चन्द्रशेखर अवर श्रेणी लिपिक को उनके नाम के आगे दर्शाये गये विवरणानुसार नियमित आधार पर पदोन्नत किया जाता है :-

क्र0 सं0	नाम एवं पदनाम	पदोन्नति का पद	पदोन्नति की तिथि	वेतनमान	प्राधिकार
01	श्री चन्द्रशेखर अवर श्रेणी लिपिक	प्रवर श्रेणी लिपिक	22.09.2016	वेतन मैटिक्स के लेवल 4	भारत के महासर्वेक्षक का पत्रांक सी-5135/1979 दिनांक22-09-2016

2 /-----

1. उपरोक्त कर्मचारी के पदोन्नति पद पर नये वेतन मैटिक्स में वेतन नियतन के लिये एफ0आर0 22 (1) (क) (1) के अधीन अपना विकल्प भी देना होगा ।
2. उपरोक्त कर्मचारी के अनुसूचित जाति का होने के कारण उनकी जाति का सत्यापन (**Cast Verification**) पुनः किया जायेगा । पुनः सत्यापन के पश्चात यदि वह अनुसूचित जाति से संबंधित नही पाये गये तो उन्हें तत्काल अवर श्रेणी लिपिक के पद पर पदावनत कर दिया जायेगा ।
3. उपरोक्त कर्मचारी पर होने वाला अतिरिक्त व्यय इस कार्यालय के वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा-शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

03- <u>सुनिश्चित कैरियर उन्नयन योजना एम0ए0सी0पी0</u>

इस केन्द्र के निम्नलिखित ग्रुप बी अधिकारी सर्वेक्षक को उनके नाम के सामने दर्शाये गये विवरणानुसार केन्द्रीय सरकार के सिविल कर्मचारी के लिए एम0ए0सी0पी0 योजना के तहत तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जाता हैं ।

क्रम0सं0	नाम व पदनाम	(MACP) वित्तीय उन्नयन पर वेतन बैंड एवं ग्रेड पे	(MACP) वित्तीय उन्नयन की तिथि	टिप्पणी
01	श्री राम लाल राम अधिकारी सर्वेक्षक (सेवानिवत)	पी0 बी0-3 रूपये 15600-39100 + ग्रेड पे 7600/-	01-10-2011	

एम0ए0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति पर उक्त कर्मचारी को नये वेतनमान में वेतन निर्धारित करने के लिए एफ0आर0 22(I)(क)(1) के तहत विकल्प देना होगा ।

अतिरिक्त सन्निहित व्यय इस कार्यालय के वर्ष 2016-17 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान में से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा-शीर्ष के नामे डाला जायेगा ।

<u>(प्राधिकार भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं0 सी-4746/1902-MACP-III(OS) दिनांक 12-09-2016)</u>

04- <u>सेवा निवृति</u> :-

इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथि से सेवा निवृत्त हो गये हैं:-

क्र0सं0	नाम व पदनाम	सेवा निवृति की तिथि
01	श्री राम शंकर, सर्वेक्षण सहायक	31-07-2016

(ओ0पी0 त्रिपाठी)
निदेशक
पूर्वी उ0प्र0भू-स्था0ऑ0के0

प्रतिलिपि- 1- भारत के महासर्वेक्षक,देहरादून को सूचनार्थ । - 1 प्रतियॉ

2- अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र/पूर्वी क्षेत्र/पूर्वोत्तर क्षेत्र/मध्य क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र/दक्षिणी क्षेत्र/विशिष्ट क्षेत्र/ उ0मुद्रण क्षेत्र/ द0मुद्रण क्षेत्र/भारतीय सर्वेक्षण प्रशिक्षण एवं मानचित्रण संस्थान (एस0टी0आई0) ------------ 1 प्रति ।

E-mail

3- भू-स्थानिक केन्द्र – मध्य प्रदेश/ राजस्थान/ आंध्र प्रदेश/ महाराष्ट एवं गोवा/ उत्तराखण्ड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश/ पंजाब एवं चण्डीगढ/हरियाण/जम्मू और कश्मीर/बिहार/हिमाचल प्रदेश/ आसाम एवं नागालैण्ड/मेघालय और अरूणाचल प्रदेश/ त्रिपुरा, मणिपुर और मिजोरम/प0 बंगाल, सिक्किम और अण्डमाननिकाबार दीप समूह/ओडीसा/झारखण्ड/ छत्तीसगढ/गुजराज, दमन और दीव/ कर्नाट/तमिलनाडु और पांडिचेरी/ केरल और लक्षदीप/ राष्टीय/ सर्वे हवाई एवं दिल्ली

4- निदेशक – उत्तरी मुद्रण वर्ग/पूर्वी मुद्रण वर्ग/ दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ज्यो0 एवं अनु0 शाखा/अंकीय मानचित्रण केन्द्र/ भौगोलिक सूदूर संवेदन निदेशालय

5- वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून ।

6- लेखा अनुभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।